


दूरभाष / Tele.: 0364-2223320

फैक्स / FAX: 0364-2223170/2224937

ई- मैल / E-Mail: megh.gdc.soi@gov.in





भारत सरकार GOVT OF INDIA



निदेशक का कार्यालय OFFICE OF DIRECTOR मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश MEGHALAYA & ARUNACHAL PRADESH भू – स्थानिक ऑकड़ा केंद्र z GEO-SPATIAL DATA CENTRE डाक पेटी सं. ८९ POST BOX NO. #89

माल्की, शिलांग & ७९३००३ MALKI, SHILLONG - 793 001

GOVT OF INDIA इस पत्र का उत्तर मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी. के पते पर भेजना चाहियें, किसी अधिकारी के नाम से नहीं । उत्तर देते समय इस पत्र की सं. और दिनांक दी जानी चाहिये ।

Any reply to this letter should be addressed to the Meghalaya & Arunachal Pradesh GDC, not to any officer by name. The No. & date of this letter should be quoted.

नेमी आदेश सं. 53 (प्रशासनिक), दिनांक 25 August, 2022 ROUTINE ORDER NO. 09 (ADM) DATED 25 AUGUST, 2022

I. अधिकारी सर्वेक्षक के पद पे नियमित आधार पर पदोन्नति । PROMOTION TO THE POST OF OFFICER SURVEYOR ON REGULAR BASIS.

निचे दिए गए सर्वेक्षकों को नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक (एसजी के पत्र संख्या- 1384/707 (Coll.78) के अनुसार दिनांक 03-03-2022) जिसका वेतन-स्तर 8 तथा वेतन मैट्रिक्स (44,900 – 142,400) होगा, के पद पे पदोन्नति का प्रभाव उनके नाम के आगे दिए गए दिनांक से प्रभाव में आएगी।

The under mentioned Surveyors are hereby promoted to the post of Officer Surveyor [as per SG's letter No. C- 1384/707 (Coll.78) dated 03-03-2022] on regular basis in the level -8 of Pay Matrix (Rs 47,600- Rs. 1,51,100) with effect from the date as shown against his names.

उपर दिए गए अधिकारियों से अपेक्षा की जाति है कि वो विकल्प FR.22(1) (a)(1) के अंतर्गत प्रयोग में लायेंगे ताकि उनका वेतन नए स्तर पे निर्धारित किया जा सके।

उल्लेखित अधिकारी से लंबित न्यायालयीन मामले के परिणाम के लिए वचन पत्र लिया जाएगा और स्थापना और लेखा अधिकारी / गोपनीय अनुभाग द्वारा सेवा पंजिका में चिपकाया जाएगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा निश्चित किया जायेगा ।

The above officers are required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

An undertaking for outcome of pending court case mentioned therein, will be taken from the Officer concerned and pasted in the Service Book, by E & A.O./ C- Section.

Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

## एम. ए. सी. पी. के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन

## 2. GRANT OF THIRD FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME.

विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग का पत्र सं A-11019/1/2008-सीडीएन दिनांक 08-06-2009 द्वारा प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या — 35034/3/2008- स्था. (डी.) दिनांक 19-05-2009 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या — 35034/3/2015- स्था. (डी.) दिनांक 22-10-2019 और विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या एसएम/02/2021 दिनांक 25.08.2021 के अनुसार निचे दर्शाए गए मेघालय एवं अरु. प्र. जीडीसी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ग्रुप 'C' गैर Canteen Clerk को एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन तथा मैट्रिक्स स्तर- 6 (Rs.35,400-1,12,400) में निर्धारण करने की स्वीकृति दी जाती है और ये उन कर्मचारी के नाम के आगे दर्शाए गए दिनांक से प्रभावित होगी।

In accordance to Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No-35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2009 and O.M. No-35034/3/2015-Estt. (D) dated 22.10.2019 received vide DST's letter No. A-11019/1/2008-DST, dt. 08-06-2009 and in pursuance to DST's letter No. SM/02/2021 dated 25.08.2021. The under mentioned employee is granted Third Financial Up gradation under the MACP scheme for the Central Government Civilian Employee in Gr. C Estt. of Canteen Staff in the level-6 Pay Matrix (Rs.35,400-1,12,400) with effect from the date as indicated below.

Designation	Date from which 3rd Financial Up gradation is admissible
Counter Clerk	29-04-2021

उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नई वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ. आर.22 (1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

The above officers are required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

(Authority:- SG's letter No. C-4361/1902-MACP (Canteen) dated 10/11-08-2022)

कर्नल रंजन नेगी निदेशक, मेघालय एवं अरु. प्रदेश जी.डी.सी.

रंग केशी

## Distribution:-

- The Surveyor General of India, Dehra Dun for information please.
- 2. The Addl. S.G., NEZ, Shillong for information, please.
- The Accounts Officer, RP&AO, Kokata for information and necessary action, please.
- The Website In-charge, Survey of India website (Kaushal Kishore Shukla <admn.soi@gov.in>)
  with a request to publish on SOI website, please.
- E.&A.O for information and necessary action, please.
- 6. File: 37-G-9